# राजस्थान सरकार
## ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
## (अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/भास/माद/18–19 जयपुर, दिनांक : 9 MAY 2018

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय :–**महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों को फार्म न. 6 की पावती रसीद जारी करने के क्रम में।**

संदर्भ :–**विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 31.01.11, 04.02.11. 12.05.11, 24.01.12, 02.02.2012 एवं 04.06.2012**

महोदय,

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 यथा संशोधित की अनुसूची 2 के पैरा 6 से 13 के अनुसार रोजगार हेतु आवेदन स्वीकार करने और आवेदक को दिनांकित रसीद जारी करने के संबन्ध में प्रावधान है।

संदर्भित पत्रों द्वारा योजनान्तर्गत रोजगार की मांग करने हेतु फार्म न. 6 (प्रति संलग्न) की उपलब्धता ग्राम पंचायत कार्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध कराये जाने, हेतु निर्देश जारी किये गये थे। साथ ही यह भी निर्देश जारी किये गये थे कि **फार्म न. 6 की दिनांकित रसीद भी आवश्यक रूप से आवेदनकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी।**

निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत के निम्न कार्मिकों/जनप्रतिनिधि के द्वारा फार्म न. 6 की दिनांकित रसीद उपलब्ध करायी जायेगी।

1. सरपंच
2. ग्राम विकास अधिकारी
3. ग्राम रोजगार सहायक
4. कनिष्ठ सहायक (एल.डी.सी.)
5. वार्ड पंच

यदि ग्राम पंचायत के उपरोक्त कार्मिक/जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राप्ति रसीद उपलब्ध नही करायी जाती है अथवा आवेदन पत्र सीधे ही कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत किये जाते है तो कार्यक्रम अधिकारी द्वारा दिनांकित रसीद आवेदनकर्ता को दी जावे एवं आवेदन पत्रों की प्रति अपने कार्यालय में रखते हुए मूल आवेदन पत्र ग्राम पंचायत को प्रेषित किये जावे। साथ ही मस्टररोल जारी करते समय यह सुनिश्चित कराया जावे कि आवेदनकर्ताओं को कार्य पर नियोजित किये जाने हेतु मस्टररोल जारी किये गये है।

**आवेदन प्राप्ति की दिनांकित रसीद प्राप्तकर्ता द्वारा दी जानी आवश्यक है क्योंकि, इसी रसीद के आधार पर मांग के बावजूद रोजगार उपलब्ध नही कराए जाने की स्थिति में, आवेदनकर्ता द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बेरोजगारी भत्ते की मांग की जा सकती है। यह रसीद उपलब्ध नही कराए जाने से, अधिनियम में श्रमिक को प्राप्त बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की मांग के अधिकार का हनन होता है।**

Scanned by CamScanner

विभाग की जानकारी में आया है कि **कुछ स्थानों पर रोजगार की मांग करने वाले आवेदनकर्ताओं को आवेदन प्राप्तकर्ता द्वारा दिनांकित प्राप्ति रसीद भी उपलब्ध नही करायी जा रही है।** यह कृत्य विभागीय निर्देशों एवं महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधानों की अनदेखी किये जाने की श्रेणी में आता है। नरेगा अधिनियम 2005 के सैक्शन 25 में प्रावधान है कि जो कोई भी इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लघंन करेगा, वह दोष सिद्वी पर जुर्माने का, जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा, दायी होगा। जिला स्तर पर, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों को सुनिश्चित कराने हेतु प्राधिकृत अधिकारी है।

अतः जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप रोजगार की मांग करने वाले आवेदनकर्ताओं को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जावे।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(पी.सी. क्रिशन)
आयुक्त, ईजीएस

**प्रतिलिपिः**

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, नरेगा, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
3. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

Scanned by CamScanner

प्रपत्र–6

# महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिला ............................

## कार्य के लिए आवेदन

(देखें नरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची–2 का पैरा–9)

प्रेषित

दिनांक

सचिव, ग्राम पंचायत ................................................/कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति ...............................

महोदय,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अतंगर्त मुझे/हमें निम्नानुसार अकुशल रोजगार उपलब्ध कराने की कृपा करावें। हम सभी निम्नानुसार 5 श्रमिकों के समूह में काम करने के इच्छुक है :–

| क.सं. | रोजगार चाहने वाले श्रमिक का नाम | पति/पिता का नाम | जॉबकार्ड नं0 | दिनों की संख्या जिसके लिए रोजगार चाहिए | अवधि | | बैंक मय शाखा का नाम एवं कोड संख्या | खाता नं0 | श्रमिक का हस्ताक्षर/ अंगुठ निशानी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | माह | पखवाडा | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

क. संख्या–1 पर दर्ज आवेदक श्री ...........सहित अन्य .........आवेदकों का नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत .......से रोजगार मांगने का आवेदन पत्र जरिये वार्ड पंच श्री/श्रीमती .............................वार्ड संख्या ..............से दिनांक ................को प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम रोजगार सहायक
कनिष्ठ सहायक (एल.डी.सी.)/वार्ड पंच

---

## रसीद

| क.सं. | रोजगार चाहने वाले श्रमिक का नाम | पति/पिता का नाम | जॉबकार्ड नं0 | दिनों की संख्या जिसके लिए रोजगार चाहिए | अवधि | | बैंक मय शाखा का नाम एवं कोड संख्या | खाता नं0 | श्रमिक का हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | माह | पखवाडा | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |

उक्त श्रमिकों का महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत से रोजगार मांगने का आवेदन पत्र दिनांक ...................................... को प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम रोजगार सहायक
कनिष्ठ सहायक (एल.डी.सी.)/वार्ड पंच

Scanned by CamScanner